पत्रांक 1777/ 451251 /लेखा 138

108—01—03—2016

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार पटना।

प्रेषक,

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 24-12-2019

सेवा में,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार।
सभी पुलिस अधीक्षक (रेल एवं इकाई सहित), बिहार।
सभी समादेष्टा (सै०पु० एव अश्वारोही सहित) बिहार
पुलिस अधीक्षक (सी) अप०अनु०विभाग/(अ) विशेष शाखा/आर्थिक अपराध इकाई/वितंतु/निगरानी/विशेष कार्य बल, बिहार।
सभी प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार।
सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, बिहार।
राज्य अग्निशामन पदाधिकारी—सह—निदेशक, बिहार, पटना।

प्रसंगः— पुलिस मुख्यालय का ज्ञापांक—1721/450417/लेखा दिनांक—11.12.2019 एंव ज्ञापांक—963/431048/लेखा दिनांक—03.07.2019

विषयः— बिहार पुलिस परोपकारी, शिक्षा तथा पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष में अंशदान कटौती के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार पुलिस केन्द्रीय कल्याण कोष में आप सभी(बि0सै0पु0—5 को छोडकर) के द्वारा बिहार पुलिस परोपकारी कोष, शिक्षा कोष, तथा पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष में अंशदान पूर्ण रूप से मार्च 2019 के बाद नहीं भेजा जा रहा है, जिस कारण कोष की स्थिति दयनीय होती जा रही है, जबकि पुलिस मुख्यालय द्वारा सी०एफ०एम०एस० के द्वारा वेतन निकासी होने के कारण अंशदान की कटौती किस तरह की जानी है, इस संबंध में प्रसांगिक पत्र के माध्यम से निर्देश दिया जा चुका है।

कुछ जिला/इकाई द्वारा देखा जा रहा है कि निम्नांकित कोष के बैंक खाता में पुलिस कर्मी के बैंक खाता से सीधे टैग(एस0आई0) कर अंशदान राशि व्यक्तिगत भेजा जा रहा है, जबकि पुलिस मुख्यालय द्वारा इस तरह का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। कोष के बैंक खाता में सीधे राशि प्राप्त होने से व्यक्तिगत प्राप्ति रसीद निर्गत करने मे कठिनाई है तथा रोकड वही में अंतर आ जायेगी। इससे वित्तीय अनियमित्ता होने की सम्भावना बनेगी।

	कोष का नाम		खाता सं0
1.	पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष	—	10839123720
2.	बिहार पुलिस परोपकारी कोष	—	10839123888
3.	बिहार पुलिस शिक्षा कोष	—	10839123877

पुनः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि अपने—अपने जिला/इकाई के सभी सदस्यों सिपाही से पुलिस निरीक्षक (लिपिक सहित) तक से अंशदान राशि जिला/इकाई में संधारित कल्याण कोष के बैंक खाता/पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा (बैंक खाता नहीं होने पर अविलम्ब पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा का बैंक खाता कल्याण कोष का खोला जाये) के बैंक खाता में प्राप्त कर तदनोपरान्त अंशदान राशि अवैतनिक सचिव बिहार पुलिस परोपकारी कोष, शिक्षा कोष तथा पुलिस सहाय्य एवं कल्याण कोष के नाम से अलग—अलग चेक/बैंक ड्राफ्ट/उपरोक्त बैंक खाता में जमा कर बैंक जमा पर्ची पदवार विवरणी के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय तथा पुलिस कर्मी के व्यक्तिगत बैंक खाता से उपरेक्त बैंक खाता में टैग(एस0आई0) को अविलम्ब हटाया जाय साथ हीं दोषी व्यक्ति का चिन्हित कर आवश्यक कार्रवायी कर पुलिस मुख्यालय को सूचित किया जाय।

अनु०—यथोपरि।

विश्वासभाजन,

Jitendra 23.12.19

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः— 1. सभी अपर पुलिस महानिदेशक (रेल, सै०पु० एवं सभी इकाई सहित) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी पुलिस महानिरीक्षक (रेल, सै०पु० एवं सभी इकाई सहित) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से क्रियान्वयन कराने का कष्ट किया जाय।
3. सभी पुलिस उप—महानिरीक्षक (रेल, सै०पु० एवं सभी इकाई सहित) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. पुलिस उप—महानिरीक्षक (कार्मिक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं निर्देश दिया जाता है कि पुलिस मुख्यालय के सभी सिपाही से लेकर पुलिस निरीक्षक तक का परोपकारी, शिक्षा, कल्याण कोष में अंशदान कटौती कराना सुनिश्चित कराया जाय।
5. पुलिस उपाधीक्षक, परिवहन मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
6. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, सिचाई भवन शाखा से अनुरोध है कि उपरोक्त बेक खाता से सभी एस0 आई0 को अमिलबं हटाने का कष्ट किया जाय, तथा उपरोक्त खाता में एस0आई0 लगाने के पूर्व अवैतनिक सचिव परोपकारी/शिक्षा/कल्याण कोष की सहमति प्राप्त कर लें।
7. प्रभारी पुलिस नियंत्रण कक्ष/आई०टी० मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

Jitendra 23.12.19

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),
राजीव बिहार, पटना।

D:\Rajeev Welfare\Misc\Letter.Docx